

राज्य परियोजना कार्यालय
राष्ट्रीय ग्रामीणी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संसाधन विभाग
अमिनीपुर, सरगुजा (छ.ग) (केंद्रीय विद्यालय तर्ज पर मॉडल स्कूल योजना)

—: आदेश :—

प्रावक क्र.

इनांक

३९३

२०/५/१०

रायपुर, दिनांक ३१ मार्च 2010

क्रमांक ३९३० / मॉडल स्कूल / स्था. / 2010 :— भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र क्रमांक एफ-२-११/२००९ / स्कूल-१, दिनांक ३०/१०/२००९ के माध्यम से प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में २०, केंद्रीय विद्यालय की पर मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति परिप्रेक्ष्य में नीचे सूची के कॉलम (२) में दर्शित स्थानों पर नवीन मॉडल स्कूल खोलने की एतद द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र.	स्वीकृत मॉडल स्कूल का नाम	विकासखण्ड का नाम	जिला का नाम	संचालन निर्धारित कक्षाएं	हेतु
1	मॉडल स्कूल ग्राम कोत्री	लोरभी	बिलासपुर	6वी से 12 वी	१०८
2	मॉडल स्कूल ग्राम उल्लूर	भोपालपट्टनम	बीजापुर	6वी से 12 वी	१०९
3	मॉडल स्कूल ग्राम चीताकोटा	उसूर	बीजापुर	6वी से 12 वी	११०
4	मॉडल स्कूल ग्राम हितवार	कुआकोण्डा	दंतेवाडा	6वी से 12 वी	१११
5	मॉडल स्कूल ग्राम रोकेल	छिन्दगढ़	दंतेवाडा	6वी से 12 वी	११२
6	मॉडल स्कूल ग्राम जवन्ना	गीदम	दंतेवाडा	6वी से 12 वी	११३
7	मॉडल स्कूल ग्राम मुतुन्ड	सुकमा	दंतेवाडा	6वी से 12 वी	११४
8	मॉडल स्कूल ग्राम जांता	बेमेतरा	दुर्ग	6वी से 12 वी	११५
9	मॉडल स्कूल ग्राम धरमजयगढ़	धरगजयगढ़	रायगढ़	6वी से 12 वी	११६
10	मॉडल स्कूल ग्राम जामड़ी	मैयाथान	सरगुजा	6वी से 12 वी	११७

1	2	3	4	5
11	मॉडल स्कूल ग्राम पतरातु	राजपुर	सरगुजा	6वी से 12 वी
12	मॉडल स्कूल ग्राम कान्कनगर	प्रतापपुर	सरगुजा	6वी से 12 वी
13	मॉडल स्कूल ग्राम नर्मदापुर	मैनपाट	सरगुजा	6वी से 12 वी
14	मॉडल स्कूल ग्राम केवड़ी	लखनपुर	सरगुजा	6वी से 12 वी
15	मॉडल स्कूल ग्राम भट्टको	बतौली	सरगुजा	6वी से 12 वी
16	मॉडल स्कूल ग्राम सेमरा	कुसमी	सरगुजा	6वी से 12 वी
17	मॉडल स्कूल ग्राम कड़की	लुन्डा	रारगुजा	6वी से 12 वी
18	मॉडल स्कूल ग्राम कलामंजन	ओडगी	सरगुजा	6वी से 12 वी
19	मॉडल स्कूल ग्राम भवरमल	रामचंद्रपुर	सरगुजा	6वी से 12 वी
20	मॉडल स्कूल ग्राम प्रतापगढ़	सीतापुर	सरगुजा	6वी से 12 वी

2/ उपरोक्तानुसार मॉडल स्कूलों के लिए नवीन पदों की स्वीकृति (रोटायप) पृथक से जारी किया जावेगा।

3/ उपरोक्तानुसार स्वीकृत मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक अध्यापन होगा। छात्रों का प्रवेश कक्षा 6 वीं में प्रारंभिक चयन परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं में भी चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसके संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जावेगा।

4/ उक्त मॉडल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

5/ उक्त शालायें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध होगी। तदानु पठन-पाठन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के आधार पर ही जावेगा।

6/ उक्त शालाओं का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय तर्ज पर मॉडल स्कूल के राज्य कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा भिशन छ.ग. रायपुर का होगा। भविष्य में इस व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकेगा।

7/ उक्त शालाओं को आगामी शिक्षा सात्र 2010 (जुलाई 2010) से प्रारंभ किया जावेगा।

8/ शाला प्रारंभ करने के पूर्व सेटअप जारी करने एवं शिक्षक भर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें।



मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन ३०३/१०

एवं
संचालक लोक शिक्षण

संचालनालय

छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र.3271/मॉडल स्कूल/स्था./2010 रायपुर, दिनांक 31/03/2010
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सादर सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. समस्त संभाग आयुक्त छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. महालेखाकार छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।